न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2015–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–05–2015 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 01/बी–121/2013–14.

पवन कुमार आ0 नर्मदाप्रसाद गूजर
निवासी ग्राम आमासेल तहसील सिराली
जिला हरदा .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती रंजना पत्नि ओमप्रकाश गूजर,
निवासी आमासेल हाल मुकाम एलआईजी कॉलोनी,
हरदा, श्री बालकृष्ण पाटिल अधिवक्ता के मकान के पास,
हरदा तहसील व जिला हरदा म0प्र .....अनावेदिका

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक–आवेदक
श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक–अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम आमासेल तहसील सिराली स्थित सर्वे कमांक 95 रकबा 1.165 हेक्टेयर का सीमांकन कराये जाने पर रकबा 0.163 हेक्टार पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया, अतः अनावेदिका द्वारा कब्जा वापिस दिलाये जाने हेतु संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन

पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 1–6–2013 को आदेश पारित कर अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–09–2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 1–6–13 निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 12–05–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा 40 डिसमिल पर आवेदक का अवैध कब्जा मानने में भारी भूल की गई है, क्योंकि आवेदक का रकबा 20 डिसमिल कम है जो कि नक्शे में त्रुटि के कारण अनाधिकृत माना गया है ।

(2) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को यह देखना था कि अनावेदिका द्वारा आवेदक के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत कोई कथन दर्ज नहीं कराये गये हैं, जबकि वह भूमिस्वामी है और उसके पति द्वारा बनावटी आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् विवेचना की जाकर बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा साक्ष्य की गलत विवेचना करते हुये आदेश पारित करने में विधि की गम्भीर भूल की गई है ।

(4) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद को आधार बनाकर आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की गई है ।

(5) व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक को अतिक्रामक मानकर भारी भूल की गई है, जबकि यदि आवेदक की भूमि का सीमांकन किया जावे तो उसका रकबा कम निकलेगा।

(6) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसीलदार के समक्ष आई साक्ष्य को देखे बिना आदेश पारित किया गया है, जबकि तहसील न्यायालय में साक्षियों के कथन से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का लम्बे समय से कब्जा होना प्रमाणित पाया गया है, इसलिये सीमांकन के आधार पर आवेदक को बेदखल नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता को 7 दिवस में लिखित प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि के किये गये सीमांकन की पुष्टि व्यवहार न्यायालय द्वारा की जा चुकी है और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है । उपरोक्त आशय का निष्कर्ष आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश में निकाला गया है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–05–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर